प्रेस नोट

No.BSEH/SRS/2024 DATE.13.02.2024

NOTIFICATION 31 /2024

- **अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट में विवरणों की शुद्धि हेतु अवसर – बोर्ड अध्यक्ष**

भिवानी, 13 फरवरी 2024: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सैकेण्डरी/ सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च–2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट में विवरणों की शुद्धि 13 फरवरी 2024 से होगी लाईव।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ0 वी.पी.यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च–2024 के लिए अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट विद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर 10 फरवरी 2024 को अपलोड की जा चुकी है जिसे विद्यालय मुखिया, विद्यालयों को जारी किए गए लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अस्थाई मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट में दर्ज विवरणों जैसे परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, आधार नम्बर, Caste Category, लिंग इत्यादि बारे शुद्धि विद्यालय मुखिया 15 फरवरी 2024 तक बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाईन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के विषय/विषयों में शुद्धि करवाई जानी है तो प्रति विषय 300/– शुद्धि शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन माध्यम से शुद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर प्रायोगिक विषय लेता है तो उस अवस्था में प्रति परीक्षार्थी 100/–रू0 प्रायोगिक शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी छटा अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में प्रति परीक्षार्थी 200/–रू0 अतिरिक्त विषय शुल्क के साथ–साथ 1000/–रू0 विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

इसके अतिरिक्त जिन अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों का परीक्षा शुल्क लम्बित है ऐसे विद्यालय दिनांक 15.02.2024 तक बोर्ड कार्यालय में आकर शुल्क जमा करवा सकते हैं।

निर्धारित तिथि 15.02.2024 के बाद किसी प्रकार के प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।

अध्यक्ष

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 – Certifies Organization)

प्रेषकः सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	सेवा में, सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक।

क्रमांक–3551 / सी0सै0 दिनांक :13.02.2024

विषयः– सैकेण्डरी / सी0 सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च–2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त (Temporary Recognised) विद्यालयों की Cut list में ऑन–लाईन शुद्धि करवाने बारे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः–

सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च–2024 के लिए अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट विद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर 10 फरवरी 2024 को अपलोड की जा चुकी है जिसे विद्यालय मुखिया, विद्यालयों को जारी किए गए लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं।

अस्थाई मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों के परीक्षार्थियों की कट–लिस्ट में दर्ज विवरणों जैसे परीक्षार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, आधार नम्बर, Caste Category, लिंग इत्यादि बारे शुद्धि विद्यालय मुखिया 15 फरवरी 2024 तक बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाईन कर सकते हैं।

यदि विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी / परीक्षार्थियों के विषय / विषयों में शुद्धि करवाई जानी है तो प्रति विषय 300 / – शुद्धि शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन माध्यम से शुद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले लिए गए विषयों के स्थान पर प्रायोगिक विषय लेता है तो उस अवस्था में प्रति परीक्षार्थी 100 / –रू0 प्रायोगिक शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई परीक्षार्थी छटा अतिरिक्त विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में प्रति परीक्षार्थी 200 / –रू0 अतिरिक्त विषय शुल्क के साथ–साथ 1000 / –रू0 विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

निर्धारित तिथि 15.02.2024 के बाद किसी प्रकार के प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।

इसके अतिरिक्त जिन अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों का परीक्षा शुल्क लम्बित है ऐसे विद्यालय दिनांक 15.02.2024 तक बोर्ड कार्यालय में आकर शुल्क जमा करवा सकते हैं।

अतः सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक समय रहते कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उप–सचिव(परीक्षाएं)
कृते : सचिव